न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), संत कबीर नगर।

(CNR NO–**UPSK010015052021**)

परिवाद संख्या–47/2021

यशोदा–– बनाम––प्रभात सिंह आदि

दिनांक–27.07.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज तबली के बिन्दु पर आदेशार्थ नियत है। तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2– संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि वह दरूआ जप्ती माफी, थाना को० खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर की रहने वाली है तथा अनुसूचित जाति की महिला है। परिवादिनी दिनांक 24.05.2021 को नाती विपिन कुमार व विवेक कुमार के साथ तितौवा स्थित अपने मकान पर जा रही थी, उसी समय गांव में बारात की विदाई हो रही थी, जिससे सड़क पूरी तरह जाम हो गयी थी। भीड़ की वजह से हम लोग खेत की मेड़ पकड़ कर आगे जा रहे थे। उसी रास्ते में एक आदमी नाम पता अज्ञात ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतार रहा था। मौके पर वह पुलिस व दरोगा को देखकर भाग गया। उसी समय शाम लगभग 6:30 बजे अभियुक्तगण दरोगा प्रभात सिंह व एक सिपाही सन्तोष यादव मेरे नाती विपिन व विवेक से कहे कि यह ताड़ी मेरी गाड़ी के पास ले जाकर पहुंचा दो। इन्कार करने पर हम लोग इसका विरोध किये तो अभियुक्तगण मुझे तथा दोनों नाती को जातिसूचक माँ–बहन, साली हरामी की गालियां दिये व थप्पड़–थप्पड़ से मारे। गाली देने से मना करने पर हम लोगों को जान–माल की धमकी भी दिये और यह भी कहे कि तुम लोगों पर मुकदमा कर देगे, तब पता चलेगा। इसके पश्चात अभियुक्तगण मेरे नाती विपिन व विवेक को जबरदस्ती कोतवाली ले गये और रास्ते में विपिन कुमार की जेब में रखा बीस हजार रूपया नकद अभियुक्तगण छीन लिये। मेरे नाती विपिन व विवेक को कोतवाली में ले जाकर बैठाये और वहां भी मारे–पोटे और वहाँ इन लोगों को गलत तरीके से वही ताड़ी दिखाकर नामजद कर दिया गया। जबकि मेरा नातो विपिन कुमार नोएडा में रहकर बी०टेक तथा विवेक कुमार सिद्धार्थ नगर में बी०फार्मा का कोर्स कर रहा है। परिवादिनी घटना के बाद को० खलीलाबाद गयी, लेकिन वहां पुलिस के खिलाफ मामला होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब परिवादिनी पूरे घटना की लिखित सूचना दिनांक 08.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को दी, इसके बाबजूद आज तक रपट नहीं दर्ज हुई। चूंकि परिवाद पुलिस के विरूद्ध है, इस कारण अब विला देरी के परिवाद दाखिल कर रही है। याचना की गयी है कि बाद लेने सबूत अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित किया जाये।

3– परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्रर्ड डाक रसीद, उ०प्र० शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का छायाप्रति दाखिल की गयी। साथ ही स्वयं का बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० व साक्षी पी०डब्लू–1 विवेक कुमार व पी०डब्लू०–2 विपिन कुमार चौहान का बयान अंतर्गत धारा–202 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया।

4– तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट) संत कबीर नगर द्वारा तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात आदेश दिनांकित–01.10.2022 द्वारा विपक्षीगण को तलब किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार पर्याप्त न पाते हुए परिवादिनी का उक्त परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त कर दिया गया। तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट) संत कबीर नगर के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर परिवादिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष क्रिमिनल अपील संख्या–9569/2022, यशोदा देवी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व दो अन्य संस्थित की गयी। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उक्त आदेश निरस्त कर मामला अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया गया कि परिवादी का उक्त परिवाद विधि अनुसार निस्तारित किया जाये। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा–9 में यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि " Coming to the facts of the present case, it may be seen that the learned Court below has rejected complaint case filed by the complainant, without considering any merit of the matter. It appears from the impugned order that the learned Special Judge (SC/ST Act) rejected the complaint case of the appellant relying upon the judgment of soni Devi (supra) that no complaint case can be entertained in the SC/ST Act while in case of Naresh Kumar Valmiki (supra), it has been held that the Exclusive Special Court or the Special Court can treat an application as a complaint case. Hence, the impugned order, being against law, is liable to be set aside. In view of these facts and circumstances, it would be appropriate that matter be remanded back to the Court below to decide the complaint case of the appellant in accordance with law.

5– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के क्रम में संबंधित मूल पत्रावली/परिवाद को तलब किया गया। आदेश दिनांकित–06.06.2023 द्वारा धारा–202(1) दं०प्र०सं० के तहत थाने से मामले का अन्वेषण कराकर अन्वेषण आख्या तलब

की गयी। पत्रावली पर प्रकरण के संबंध में थाने की आख्या दिनांकित–26.03.2025, 02.05.2025 और 15.09.2025 संलग्न हैं। अजय सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद संत कबीर नगर द्वारा प्रकरण के संबंध में यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि "*वह 2021 में थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत तितौवा चौकी पर नियुक्त तत्कालीन चौकी प्रभारी उ०नि० प्रभात सिंह एवं आरक्षी संतोष कुमार गुप्ता क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबीर खास की सूचना की दरुआ जप्ती में अवैध ताड़ी की बिक्री हो रहा है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुँचे। फर्द बरामदगी के अनुसार 02 अद्दद जरिकैन में अलग–अलग 04–04 लीटर कुल 08 लीटर अवैध कच्ची ताड़ी बचते हुए अभियुक्तगण क्रमशः विपिन कुमार व सोनू कुमार पुत्रगण रामनरायण निवासीगण दरूआ जप्ती थाना कोतवाली खलीलाबाद पाये गये। विधिनुसार उ०नि० प्रभात सिंह व आरक्षी संतोष कुमार गुप्ता द्वारा फर्द बरामदगी तैयार कर अवैध ताड़ी कब्जा पुलिस लेकर वादी मुकदमा उ०नि० प्रभात सिंह द्वारा यशोदा देवी के नाती विपिन कुमार व मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार के विरुद्ध क्रमशः 333/24 व 334/24 अंतर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम का अभियोग थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत कराया गया था जो बाद विवेचना जरिए आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि परिवादिनी यशोदा देवी के नाती के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किये जाने से छुब्ध होकर परिवादिनी द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वादी मुकदमा उ०नि०प्रभात सिंह पर मिथ्या आरोप अंकित करते हुए उपरोक्त परिवाद माननीय न्यायालय में दायर किया गया है।*" इसी प्रकार की आख्या पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद व अवधेश सिंह उ०नि० थाना को० खलीलाबाद द्वारा भी दी गयी है। थाने द्वारा अपनी आख्या के साथ विपिन कुमार के विरुद्ध दर्ज मु०अ०सं०–333/21 अंतर्गत धारा–60 उ०प्र० उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम, मोनू कुमार के विरुद्ध दर्ज मु०अ०सं०–334/21, अंतर्गत धारा–60 उ०प्र० उत्पाद शुल्क/ आबकारी अधिनियम के प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तथा उक्त मुकदमे में उनके विरुद्ध विवेचनोपरांत उक्त धारा में प्रेषित आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है। थाने की उक्त आख्या पर परिवादिनी यशोदा देवी द्वारा सशपथ आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

6– मेरे द्वारा विपक्षीगण पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में परिवादिनी के परिवाद पत्र, परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० व धारा–202 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराये गये साक्षी पी०डब्लू०–1 विवेक कुमार व पी०डब्लू०–2 विपिन कुमार चौहान के बयानों का अवलोकन किया गया।

7– परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र के पैरा–2 में अपने नाती विपिन कुमार व विवेक कुमार के साथ तितौवा स्थित अपने मकान पर जाने, उस समय बारात की विदाई

होने के कारण सड़क पूरी तरह से जाम होने तथा भीड़ की वजह से मेड़ पकड़ कर जाने का कथन किया गया है, लेकिन धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में परिवादिनी द्वारा अपने नाती विपिन और विवेक के साथ मोटरसाईकिल से जाने व बारात के कारण सड़क जाम होने से कच्ची रास्ते से जाने का कथन किया गया है। जहाँ परिवाद में परिवादिनी द्वारा, किससे जा रही थी, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है, वहीं धारा–200 दं०प्र०सं०के बयान में मोटरसाईकिल से जाने का कथन किया गया है। इसी प्रकार परिवाद में परिवादिनी द्वारा मेड़ से होकर जाने का कथन किया गया है, वहीं धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में कच्ची रास्ते से होकर जाने का कथन किया गया है। यदि परिवादिनी के धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में किये गये इस कथन को सही मान लिये जाए कि वह मोटरसाईकिल से जा रही थी तो यह कदापि संभव नहीं है कि तीन व्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर बैठ कर मेड़ से होकर जाएँ। किससे जा रहे थे और किस रास्ते से जा रहे थे इस संबंध में परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र व धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में विरोधाभाषी बयान दिये गये हैं। परिवादिनी का यह कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि विदाई होने के कारण सड़क पूरी तरह से जाम हो गया था। अमूमन यह देखा जाता है कि जब बारात निकलनी होती है और जिन बसों और गाड़ियों से लोगों को जाना होता है उसे एक निश्चित स्थान पर सड़क के किनारे या किसी खुले स्थान पर खड़ा करा दिया जाता है। जिससे कि लोगों का आना–जाना व आवागमन बाधित न हो। यह कदापि देखने को नहीं मिलता है कि बारात निकलते समय रास्ता इस प्रकार से जाम हो जाये की कोई व्यक्ति पैदल या मोटरसाईकिल से न निकल पाए। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र व धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में घटना दिनांक–24.05.2021 को लगभग 06:30 बजे की बतायी गयी है। परिवादिनी द्वारा, उस रास्ते से बारात निकल रही थी, इसकी पुष्टि हेतु श्री छेदीलाल के लड़के अमरजीत के विवाह का कार्ड प्रस्तुत किया गया है। जिसमे विवाह की तिथि दिनांक–24.05.2021 अंकित की गयी है। उक्त शादी के कार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त कार्ड की नीचे यह अंकित किया गया है कि *" बारात हमारे निवास स्थान ग्राम–दरुआ जसी माफी से ग्राम सुरुवलिया पोस्ट परमेश्वरपुर जनपद गोरखपुर के लिए सायं चार बजे प्रस्थान करेगी।"* परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र व धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में घटना लगभग 06:30 बजे शाम की बताते हुए बारात निकलने के कारण रास्ता जाम होने का कथन किया गया है, जबकि शादी के उक्त कार्ड से विदित होता है कि बारात 4 बजे ही प्रस्थान करने वाली थी। यह संभव है कि बारात कुछ विलम्ब से निकली हो लेकिन यह कदापि नहीं माना जा सकता की बारात ढाई घण्टे विलम्ब से निकली होगी। उक्त तथ्य भी वादिनी के इस कथन को अविश्वसनीय बनाते हैं कि बारात निकलने के कारण रास्ता पूर्ण रूप से जाम था।

8– जहाँ परिवादिनी द्वारा धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में मोटरसाईकिल से व कच्ची रास्ते से जाने का कथन किया गया है। वहीं पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 द्वारा अपने धारा–202 दं०प्र०सं० के बयानों में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इसी प्रकार परिवादिनी द्वारा धारा–200 दं०प्र०सं० के बयानों में यह कथन किया गया है कि *"उक्त विपक्षीगण ने पूछा कि तुम लोग कौन जाति हो, जब मेरे नातियों ने कहा की हम बेलदार हैं। उक्त प्रभात सिंह व संतोष यादव ने साले, चमार, सिया की गाली देते हुए कहा की जेल में बंद कर देंगे।"* लेकिन इस संबंध में परिवादिनी के परिवाद पत्र तथा पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 के बयानों के अवलोकन से विदित होता है कि उसमे इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है।

9– थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–333/2021 व 334/2021 के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा जिस दिनांक, समय व स्थान की घटना बताते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसी दिनांक, समय व स्थान को लेकर उ०नि०प्रभात कुमार सिंह द्वारा विपिन कुमार व मोनू कुमार के विरुद्ध धारा–60 उ०प्र० शुल्क उत्पाद/आबाकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। थाने द्वारा अपनी आख्या में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त मामले में विपिन कुमार और मोनू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। मेरे द्वारा संबंधित न्यायालय से उक्त पत्रावली तलब कर उसका अवलोकन किया गया। संबंधित पत्रावली मु०अ०सं०–333/21, मु०नं०–23426/26 सरकार बनाम विपिन कुमार अंतर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम व मु०अ०सं०–334/21, मु०नं०–300/26 सरकार बनाम मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार, अंतर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम थाना खलीलाबाद के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मामले में विपिन कुमार व मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार के विरुद्ध धारा–60 आबकारी अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमे विपिन कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर दिनांक–16.11.2022 को तथा मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर दिनांक–11.01.2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है तथा अभियुक्त विपिन कुमार को अपराध का सारांश बताते हुए दिनांक–30.07.2024 को व अभियुक्त मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार को अपराध का सारांश बताते हुए दिनांक–13.04.2026 द्वारा उनका बयान भी अंकित किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त दोनों पत्रावली साक्ष्य में नियत हैं।

10– स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में विपक्षीगण पर दिनांक–24.05.2021 को समय लगभग शाम 06:30 बजे, उसके नाती विपिन कुमार व विवेक

कुमार पर, जिस ताड़ी दिखाकर झूठा नामजद करने का कथन किया गया है, उसी ताड़ी बरामदगी के आधार पर विपिन कुमार व मोनू कुमार उर्फ विवेक कुमार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है और मामला अभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर, परिवादिनी के परिवाद पत्र में किये गये इस कथन की विपिन कुमार और विवेक कुमार को झूठा नामजद किया गया है, के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

11– इस प्रकार मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों के विश्लेषणोपरांत विपक्षीगण को विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः परिवादिनी का उक्त परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं०प्र०सं निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

12– परिवादिनी का उक्त परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं०प्र०सं निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540

दिनांक–27.07.2026

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.07.27 16:14:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court